UPSI180019362020

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Mahmudabad, Sitapur

पीठासीन अ धकारी- (Mayank Prakash)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02293**

मूलवाद सं० - Civil Suit/232/2020

सियाराम आदि बनाम सोनू आदि

05.02.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रार्थीगण संदीप कुमार आदि के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वास्ते आ0 नि0 प्रा0 पत्र 18क नियत है।

प्रार्थीगण सन्दीप कुमार आदि की ओर प्रा0 पत्र 18क अं0 आदेश 1 नियम 10(2) जा0 दी0 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में भूमि नं0 85 रक्बा 1.293 हे0 स्थित ग्राम गनेरा को अपने प्लाटों के पश्चिम सिरे पर स्थित होना दर्शाकर न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि रेवती पुत्री चुन्नी द्वारा प्रार्थीगण के हकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से पश्चिमी साईड चुनकर अपने पुत्र व सगे सम्बन्धियों के पक्ष में बैनामे किये गये हैं, जिसकी वजह से निकट भविष्य में हम प्रार्थीगण के हक प्रभावित हो सकते हैं, किन्तु प्रार्थीगण को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रार्थीगण का पक्ष न्यायालय के समक्ष आने हेतु प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः इस हेतु वादी को निर्देशित किये जाने की कृपा की जाय।

वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 18क पर आपत्ति 24ग प्रस्तुत करके यह कथन किया गया कि विवादित भूमि अ,ब,स,द के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर संदीप कुमार एवं श्रीमती फूलमती की कोई भूमि मिली हुई नहीं है। इस कारण उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी सोनू व गीता देवी ने षडयन्त्रपूर्वक मुकदमें में अनावश्यक बाधायें उत्पन्न करने के लिए सन्दीप कुमार व श्रीमती फूलमती से पक्ष बनने का प्रार्थना–पत्र निरर्थक रूप से दिलाया है, जो विधि व तथ्यों के विपरीत है। प्रार्थना–पत्र 18क में कही भी यह उल्लिखित नहीं है कि प्रार्थीगण का कौन सा चक विवादित भूमि से मिला हुआ है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण का कथन है कि नक्शा नजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित भूमि के पश्चिम मिली हुई भूमि गाटा सं0 85 स्थित है। वादीगण क्रय किये गये उपरोक्त प्लाटों के स्वामी व काबिज हैं, किन्तु प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अपना निर्माण कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद का कारण उत्पन्न हुआ है तब वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण सन्दीप कुमार आदि ने अपने प्रार्थना–पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका विवादित सम्पत्ति में हित क्या है, उनकी कौन सी भूमि विवादित भूमि से मिली हुई स्थित है, अथवा वाद में उन्हे पक्षकार न बनाये जाने से उन्हे क्या क्षति हो रही है। मात्र प्रार्थीगण सन्दीप कुमार आदि का प्रार्थना–पत्र में यह कथन है कि निकट भविष्य में उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में प्रार्थीगण सन्दीप कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र 18क में लिये गये आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र 18क निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण सन्दीप कुमार आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 18क निरस्त किया जाता है। आपत्ति वादीगण तद्नुसार निस्तारित की जाती है। वास्ते जवाबदावा/तनकीह दि0 31.03.2021 को पेश हो। अन्तरिम निषेधाज्ञा नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code-UP-2293

दिनांक–05-02-2021

अजय/स्टेनो–

Digitally signed by Mayank Prakash
Date: 2021.02.05 18:02:57 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D. Mahmudabad, Sitapur.